रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277696
CG-DL-E-12112026-277696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5750] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5750] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5982(अ).— केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 3723(अ) तारीख 9 जुलाई 2026, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 9 जुलाई 2026 में प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में स्थित 69.0243 हेक्टर (लगभग) या 170.49 एकड़ (लगभग) भूमि में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 69.0243 हेक्टर (लगभग) या 170.49 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या टीसी/एजी/एसयूआर/रेव.प्लान/2026-27/428 तारीख 24 जुलाई 2026 का निरीक्षण, कलक्टर, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या निदेशक तकनीकी (योजना व परियोजना), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, डाकघर- डिसेरगढ़, जिला पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल, पिन – 713333 के के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:—

"8. अर्जन की बाबत् आपत्तियाँ.— (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।"

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2520 तारीख 27 मई 1983 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

कंपनी या सहायक कंपनी का नाम – ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

जिले का नाम – पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल

परियोजना का नाम – तिलाबोनी यूजी माइन (1.86 मि.टन प्रतिवर्ष)

खंड का नाम – तिलाबोनी खंड और तिलाबोनी विस्तार खंड

[रेखांक धारक संख्या टीसी/एजी/एसयूआर/रेव.प्लान/2026-27/428 तारीख 24 जुलाई 2026]

क्र.सं.	ग्राम या मौजा का नाम	पटवारी हल्का संख्या या क्षेत्राधिकार सूची संख्या	तहसील	जिला	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि (हे. में)				अभ्युक्ति	अधिकार
					रैयती	सरकारी	वन	कुल		
1	कुमारडीही	14	पाण्डवेश्वर	पश्चिम बर्द्धमान	8.7895	0.00	0.00	8.7895		समग्र अधिकार
2	चकझरिया	15	पाण्डवेश्वर	पश्चिम बर्द्धमान	57.8704	0.00	0.00	57.8704		समग्र अधिकार
3	सरपी	36	फरिदपुर-दुर्गापुर	पश्चिम बर्द्धमान	2.3644	0.00	0.00	2.3644		समग्र अधिकार
उपकुल-					69.0243	0.00	0.00	69.0243		

कुल योग: 69.0243 हेक्टेयर (लगभग) या 170.49 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम या मौजा - कुमारडीही, क्षेत्राधिकार सूची संख्या 14, पु.था. पाण्डवेश्वर, जिला पश्चिम बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) में अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट संख्या 1914(पी), 1917(पी), 1919(पी) ।
2. ग्राम या मौजा- चकझारिया, क्षेत्राधिकार सूची संख्या 15, पु.था. पाण्डवेश्वर, जिला पश्चिम बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) में अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट संख्या 39, 46, 98, 107, 139, 140, 144, 152,153, 171, 175, 181, 187, 188, 189, 191, 192, 198, 200, 203, 204, 206, 213, 231, 239, 144/246, 144/247, 28/249, 34/251, 144/253, 144/269, 144/271, 144/272, 144/273, 239/274, 239/275, 1/277(पी), 1/279(पी) ।
3. ग्राम या मौजा- सरपी, क्षेत्राधिकार सूची संख्या 36, पु.था. फरिदपुर-दुर्गापुर, जिला पश्चिम बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) में अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट संख्या 28(पी), 30(पी), 67(पी), 67/3380(पी) ।

सीमा विवरण:

बहुभुज 'क':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 96 में बिंदु क1 से प्रारंभ होकर, क2 से क8 तक घड़ी की दिशा में गोलाकार रूप से चलता है तथा पुनः क1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ख':- मौजा-कुमारडीही के प्लॉट 1795 में बिंदु ख1 से प्रारंभ होकर, ख2 से ख4 तक दक्षिण दिशा में जाता है, फिर ख5 से ख6 तक पूर्व दिशा में जाकर पुनः ख1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ग':- मौजा-कुमारडीही के प्लॉट 1915 में बिंदु ग1 से प्रारंभ होकर, ग2 से ग9 तक दक्षिण दिशा में जाता है, फिर ग10 से ग11 तक पश्चिम दिशा में, तत्पश्चात ग12 से ग1 तक उत्तर दिशा में चलता है।

बहुभुज 'ग'':- मौजा-कुमारडीही के प्लॉट 2875 में बिंदु ग'1 से प्रारंभ होकर, ग'2 से ग'12 तक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में जाता है, फिर ग'13 से ग'16 तक पश्चिम दिशा में, तत्पश्चात ग'1 तक उत्तर दिशा में चलता है।

बहुभुज 'घ':- मौजा-कुमारडीही के प्लॉट 3144 में बिंदु घ1 से प्रारंभ होकर, घ2 से घ6 तक पूर्व दिशा में, फिर घ7 तक उत्तर दिशा में, फिर घ20 तक पूर्व दिशा में, फिर घ34 तक पश्चिम दिशा में, फिर घ38 तक दक्षिण दिशा में, फिर घ43 तक पूर्व दिशा में, फिर घ50 तक दक्षिण दिशा में, फिर घ76 तक पूर्व दिशा में, फिर घ81 तक पश्चिम दिशा में, फिर घ83 तक दक्षिण दिशा में तथा अंततः घ1 तक उत्तर दिशा में जाता है।

बहुभुज 'ङ':- मौजा-सारपी के प्लॉट 194 में बिंदु ङ1 से प्रारंभ होकर, ङ2 से ङ8 तक घड़ी की दिशा में चलता है, फिर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए पुनः ङ1 पर पहुँचता है।

बहुभुज 'च':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट संख्या 201 में बिंदु च1 से प्रारंभ होकर, च2 से च6 तक घड़ी की दिशा में चलता है तथा अंततः च1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'छ':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 218 में बिंदु छ1 से प्रारंभ होकर, छ2 से छ6 तक दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में चलता है, फिर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए छ1 पर पहुँचता है।

बहुभुज 'ज':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 207 में बिंदु ज1 से प्रारंभ होकर, ज2 से ज8 तक दक्षिण और उत्तर दिशा में चलता है तथा पुनः ज1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'झ':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 180 में बिंदु झ1 से प्रारंभ होकर, झ2 से झ4 तक घड़ी की दिशा में चलता है तथा पुनः झ1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ञ':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 45 में बिंदु ञ1 से प्रारंभ होकर, ञ2 से ञ6 तक घड़ी की दिशा में चलता है तथा पुनः ञ1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ट':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 165 में बिंदु ट1 से प्रारंभ होकर, ट2 से ट11 तक दक्षिण दिशा में जाता है, फिर ट12 से ट17 तक उत्तर और पूर्व दिशा में चलकर पुनः ट1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ठ':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट संख्या 176 में बिंदु ठ1 से प्रारंभ होकर, ठ2 से ठ6 तक दक्षिण और पश्चिम दिशा में जाता है, फिर ठ7 से ठ8 तक उत्तर एवं पश्चिम दिशा में चलकर पुनः ठ1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ड':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट संख्या 45 में बिंदु ड1 से प्रारंभ होकर, ड2 से ड5 तक दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में जाता है, फिर ड6 से ड7 तक उत्तर दिशा में चलकर पुनः ड1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ढ':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट 124 में बिंदु ढ1 से प्रारंभ होकर, ढ2 से ढ9 तक घड़ी की दिशा में चलता है तथा पुनः ढ1 पर बंद होता है।

बहुभुज 'ण':- मौजा-चकझरिया के प्लॉट संख्या 126 में बिंदु ण1 से प्रारंभ होकर, ण9 तक दक्षिण दिशा में जाता है, फिर ण12 तक पश्चिम दिशा में, तत्पश्चात ण13 और ण14 होते हुए उत्तर दिशा में चलकर पुनः ण1 पर पहुँचता है।

बहुभुज 'त':- मौजा-कुमारडीही के प्लॉट संख्या 3019 में बिंदु त1 से प्रारंभ होकर, त2 तक दक्षिण-पूर्व दिशा में, त7 तक उत्तर-पूर्व दिशा में, त8 तक दक्षिण दिशा में, त11 तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में, त32 तक उत्तर दिशा में, त36 तक पश्चिम दिशा में, त43 तक उत्तर दिशा में, त50 तक पूर्व दिशा में, त51 तक उत्तर दिशा में, त54 तक पश्चिम दिशा में, त62 तक उत्तर दिशा में, फिर उत्तर-पश्चिम और उत्तर दिशा में चलते हुए पुनः त1 पर पहुँचता है।

बहुभुज 'थ':- मौजा-झांझरा के प्लॉट संख्या 1/2403 में बिंदु थ1 से प्रारंभ होकर, थ3 तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में, थ4 तक पश्चिम दिशा में, फिर थ5 होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा में चलकर पुनः थ1 पर पहुँचता है।

[फा.सं. 43015/22/2025-एलएआईआर]

गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026.

S.O. 5982(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3723 (E), dated the 9th July, 2026, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th July, 2026, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 69.0243 hectares (approximately) or 170.49 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to the said notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land, measuring 69.0243 hectares (approximately) or 170.49 acres (approximately) and all rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto;

Note 1.- The plan bearing number TC/AG/SUR/REV.PLAN/2026-27/428, dated the 24th July, 2026, comprising the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Paschim Bardhaman, West Bengal or in the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organizations, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the office of the Director Technical (Project and Planning), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, P.O. Dishergarh, District-Paschim Bardhaman, West Bengal, PIN-713333.

Note 2.- Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows: -

"8. Objections to acquisition. - (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under Sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under Sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land, who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3. The Coal Controller, Coal Controller's Organizations, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092, has been appointed by the Central Government as the competent authority under Section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2520, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Name of Company or Subsidiary – Eastern Coalfields Limited

Name of District- Paschim Bardhaman, West Bengal

Name of Project – Tilaboni UG Mine (1.86 MTY)

Name of the Block – Tilaboni Block and Tilaboni Extension Block

[Plan Bearing Number TC/AG/SUR/REV.PLAN/2026-27/428, dated the 24th July, 2026]

Sl. No.	Name of Village or Mouza	Patwari Circle Number or Juridiction List No.	Tahsil	District	Land to be acquired (in Ha.)				Remarks	Rights
					Tenancy	Government	Forest	Total (in hectare)		
1	KUMARDIHI	14	PANDABESWAR	PASCHIM BARDHAMAN	8.7895	0.0000	0.0000	8.7895		ALL RIGHTS
2	CHAKJHARIA	15	PANDABESWAR	PASCHIM BARDHAMAN	57.8704	0.0000	0.0000	57.8704		ALL RIGHTS
3	SARPI	36	FARIDPUR-DURGAPUR	PASCHIM BARDHAMAN	2.3644	0.0000	0.0000	2.3644		ALL RIGHTS
				Sub Total	69.0243	0.0000	0.0000	69.0243		

Total Area: 69.0243 hectares (approximately) or 170.490 acres (approximately)

1. Plot numbers to be acquired in village or Mouza - Kumardihi, Jurisdiction List No. 14, P.S. Pandaveswer, District - Paschim Bardhaman (West Bengal).

   1914(P), 1917(P), 1919(P).

2. Plot numbers to be acquired in village or Mouza - Chakjharia, Jurisdiction List No. 15, P.S. Pandaveswer, District - Paschim Bardhaman (West Bengal).

39,46,98,107,139,140,144,152,153,171,175,181,187,188,189,191,192,198,200,203,204,206,213, 231,239,144/246,144/247,28/249,34/251,144/253,144/269,144/271,144/272,144/273,239/274,239/275,1/277(P),1/279(P).

3. Plot numbers to be acquired in village or Mouza - Sarpi, Jurisdiction List No. 36, P.S. Faridpur - Durgapur, District - Paschim Bardhaman (West Bengal).

28(P), 30(P), 67(P), 67/3380(P).

Boundary Description:

i) POLYGON 'A': Starts at Point A1 in plot 96 of mouza-Chakjharia, then traverse through A2 up to A8 in round shape clock - wise direction and closes at A1.

ii) POLYGON 'B': Starts at Point B1 in plot 1795 of mouza-Kumardihi, then traverse through B2 up to B4 in southward direction then from B5 to B6 in Eastward and closes at B1.

iii) POLYGON 'C': Starts at Point C1 in plot 1915 of mouza-Kumardihi, then traverse through C2 up to C9 in southward direction then from C10 to C11 in Westward direction then traverse through C12 up to C1 in North direction.

iv) POLYGON C': Starts at point C'1 in plot 2875 of mouza-Kumardihi, then traverse through C'2 up to C'12 in south and South-East direction then from C'13 to C'16 in Westward direction then traverse up to C'1 in North direction.

v) POLYGON 'D': Starts at point D1 in plot 3144 of mouza-Kumardihi, then traverse through D2 up to D6 towards East, then up to D7 towards North, then up to D20 towards East, then up to D34 towards West, then up to D38 towards South, then up to D43 towards East, then up to D50 towards South, then up to D76 towards East, then up to D81 towards West, then up to D83 towards South, then up to D1 towards North.

vi) POLYGON 'E': Starts at E1 in plot 194 of mouza-Sarpi then traverse in clock-wise direction through E2 up to E8 then proceeds towards East up to E1.

vii) POLYGON 'F': Starts from point F1 in plot number- 201 of mouza-Chakjharia, run in clock-wise direction through E2 up to F6 and finally closes at F1.

viii) POLYGON 'G': Starts at G1 in plot 218 of mouza-Chakjharia then traverse in South, West and Northern direction through G2 up to G6 then proceeds towards East up to G1.

ix) POLYGON 'H': Starts at H1 in plot 207 of mouza-Chakjharia then traverse in South and Northern direction through H2 up to H8 and closes at H1.

x) POLYGON 'I': Starts at I1 in plot 180 of mouza-Chakjharia then traverse in clock-wise direction through I2 up to I4 and closes at I1.

xi) POLYGON 'J': Starts at J1 in plot 45 of mouza-Chakjharia then traverse in clock-wise direction through J2 up to J6 and closes at J1.

xii) POLYGON 'K': Starts at K1 in plot 165 of mouza-Chakjharia then traverse through K2 up to K11 in southern direction then from K12 to K17 in North and East direction and closes at K1.

xiii) POLYGON 'L': Starts at L1 in Plot number- 176 of mouza-Chakjharia then traverse through L2 up to L6 in south and West direction then from L7 to L8 in North and West direction and closes at L1.

xiv) POLYGON 'M': Starts at M1 in Plot number- 45 of mouza-Chakjharia then traverse through M2 up to M5 in south and West direction then from M6 to M7 in North direction and closes at M1.

xv) POLYGON 'N': Starts at N1 in plot number - 124 of mouza- Chakjharia then traverse in clock-wise direction through N2 up to N9 and closes at N1.

xvi) POLYGON 'O': Starts at O1 in Plot number- 126 of mouza-Chakjharia then traverse in South direction up to O9 then towards West up to O12 then towards North direction through O13 and O14 up to O1.

xvii) POLYGON 'P': Starts at P1 in Plot number- 3019 of mouza-Kumardihi then traverse towards South-East up to P2, towards North East up to P7, towards South up to P8, towards South-West up to P11, towards North up to P32, towards West up to P36, towards North up to P43, towards East up to P50, towards North up to P51, towards West up to P54, towards North up to P62, towards North West and North up to P1.

xviii) POLYGON 'Q': Starts from Q1 in Plot number- 1/2403 of mouza-Jhanjra, run towards South west up to point Q3, towards West up to Q4, towards North East passing through Q5 up to Q1.

[F. No. 43015/22/2025-LAIR]

Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.12 13:52:35 +05'30'